उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001 फोन: 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स: 0522-2237800



чліф ніо 8892/16

दिनांक 20/09/2018

अत्यंत महत्वपूर्ण/आवश्यक

सेवा में.

प्रबंधक/प्रधानाचार्य, समस्त नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

विषय—समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों में प्रवेशित अभ्यर्थियों के ऑन—लाइन इन्रोलमेन्ट के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया.

आपको सूचित करना है कि प्रशिक्षण सत्र 2016—17 में प्रवेशित अभ्यर्थियों का ऑन—लाइन इन्रोलमेन्ट आपके सेन्टर लॉग—इन पैनल द्वारा कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर दिनॉक 31 अक्टूबर 2016 तक किये जा सकते हैं। ऑन—लाइन इन्रोलमेन्ट हेतु शैक्षिक प्रमाण—पत्रों (हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के रंगीन प्रमाण—पत्र जो पठनीय हों) एवं प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित छात्र / छात्राओं के फोटो एवं हस्ताक्षर ब्लॉक आवश्यक हैं।

वर्ष में एक ही बार प्रवेश लिया जायेगा। प्रवेशित छात्र/छात्राओं का इन्रोलमेंट नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि की सूची प्रशिक्षण केन्द्र के लेटर हेड पर 15 नवम्बर तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त तिथि के पश्चात् छात्र/छात्राओं के इन्रोलमेंट फार्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेगे।

यदि किन्हीं कारणों से वेबसाइट नहीं खुल रही हो, तो समस्त दस्तावेज सहित 15 नवम्बर तक व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करवाये जायें।

जी0एन0एन0 / ए0एन0एम0 अभ्यर्थियों के इन्रोलमेन्ट सूची के साथ निम्नलिखित शुल्क जमा होंगे—

- सम्बद्धता शुल्क सत्र 2016-17 का रू0 1500/- प्रति अभ्यर्थी की दर से।
- नये प्रवेशित अभ्यर्थियों को बुकलेट एवं आई0डी० कार्ड कार्यालय द्वारा देने हेतु शुल्क रू० 500 / — प्रति अभ्यर्थी की दर से।

डिप्लोमा पैरामेडिकल प्रशिक्षण के अम्यर्थियों के इन्रोलमेन्ट सूची के साथ निम्नलिखित शुल्क जमा होंगे—

- सम्बद्धता शुल्क सत्र 2016-17 का रू0 15000/- प्रति प्रशिक्षण की दर से।
- नये प्रवेशित अभ्यर्थियों को आई०डी० कार्ड कार्यालय द्वारा देने हेतु शुल्क रू० 250/- प्रति अभ्यर्थी की दर से।

न्युनतम शैक्षिक अर्हता-

- पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 10+2 विज्ञान विषयों (पी.सी.एम. अथवा पी.सी. बी.) सहित उत्तीर्ण एवं न्यूनतम आयु 31.12.2016 को 17 वर्ष (31.12.1999 के पूर्व) पूर्ण होना चाहिये।
- जी०एन०एन० / ए०एन०एम० प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों का प्रवेश इण्डियन निर्सिग काँसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार ही सुनिश्चित करें।

नोट- सभी प्रशिक्षण केन्द्र इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही वर्तमान प्रशिक्षण सत्र 2016-17 में अभ्यर्थियों का प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। इस पत्र को अत्यन्त गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें।

> **सचिव,** उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

वदीय.

ADMISSION TERMS AND CONDITIONS

- 1. Minimum education eligibility criteria for admission to GNM:
 - 10+2 with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination and English individually from any recognized board. Candidates are also eligible from State Open School recognized by State Government and National Institute of Open School (NIOS) recognized by Central Government. However Science is preferable.
 - 10+2 with English having 40% of marks in vocational ANM course from the school recognized by Indian Nursing Council
 - 10+2 with English having 40% of marks in Vocational Stream-Health care Science from a recognized CBSE board/State/Centre
 - · Registered ANM with pass mark.

For foreign nationals

• The entry qualification equivalency i.e., 12th standard will be obtained by Association of Indian Universities, New Delhi. Institution, State Nursing Council will be responsible to ensure that the qualification and eligibility will be equivalent to what has been prescribed as above

2. Reservation

a) For disabled candidates: 3% Disability reservation to be considered with a disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to age and qualification will be same as prescribed for each nursing programme.

Note: A committee to be formed consisting of medical officer authorized by medical board of state government and a nursing expert in the panel which may decide whether the candidates have the disability of locomotor of 40% to 50%.

- b) 5% of total marks is relaxed for SC/ST candidates
- c) Any other reservation as per the State Govt.

Note: Reservation shall be applicable within the sanctioned number of the seats by INC and not above it

- 3. Admission of students shall be once in a year.
- 4. Students shall be medically fit.
- 5. Minimum age for admission will be 17 years. (as on 31st December of that year) The upper age limit is 35 yrs. For ANM/ for LHV, there is no age bar.

Admission / Selection Committee

This committee should comprise of:

- Principal

Chairperson

Vice-Principal